[2023] 1 एस.सी.आर. 375

मोहिंदर पाल और अन्य

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1863/2010)

12 जनवरी, 2023

[बी. आर. गवई और एम. एम. सुंदरेश, जे.जे.]

रणबीर दंड संहिता - धारा 300 अपवाद I, धारा 302 और धारा 304 का भाग I - गंभीर और अचानक उकसावा - दो व्यक्तियों, 'जे' और 'एम' की मौत - सात आरोपी - आरोप है कि आरोपी नंबर 1 और उसके बेटों ने 'जे' और 'एम' को उनके घर में जबरदस्ती हिरासत में लिया और उनके साथ मारपीट की, जिससे चोटों के कारण उनकी मौत हो गई - सत्र न्यायाधीश ने आरोपी नंबर 5 और 6 को बरी कर दिया, लेकिन आरोपी नंबर 1 से 4 और 7 को आरपीसी की धारा 302, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा - अपील के लंबित रहने के दौरान आरोपी नंबर 1 की मृत्यु हो गई, जबकि आरोपी नंबर 2 फरार हो गया - आरोपी नंबर 3, 4 और 7 द्वारा अपील पर, माना गया: रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों से, यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष साफ हाथों से नहीं आया है और उसने घटना की उत्पत्ति को दबाने का प्रयास किया है - 'जे' के मृत्यु पूर्व बयान के साथ-साथ पी.डब्ल्यू.1 और के साक्ष्य में विरोधाभास पी.डब्लू.2 कि किन परिस्थितियों में दोनों मृतक आरोपी व्यक्तियों के घर गए थे - इसके अलावा, आरोपी नंबर 1 को भी घटना में चोटें आईं - अभियोजन पक्ष आरोपी नंबर 1 को लगी चोट के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल रहा - यह आरोपी नंबर 1 का विशिष्ट मामला था कि दो व्यक्ति उसके घर आए थे और उन्होंने उस पर लाठी से हमला किया - संभावना है कि आरोपी नंबर 1 पर हमले से क्रोधित होकर, आत्म नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने पर, गंभीर और अचानक उकसावे से, 'जे' और 'एम' पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता - अपीलकर्ता (आरोपी नंबर 3, 4 और 7) आरपीसी की धारा 300 के अपवाद I के मद्देनजर संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं - अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरपीसी की धारा 302 के तहत मामले को साबित करने में विफल रहा -

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित – 1. रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ों, खासकर पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट से, इस बात पर कोई शक नहीं किया जा सकता कि मृतक की मौत हत्या थी। [पैरा 10][380-H]

2. घटनास्थल आरोपियों का घर है। मृतक 'जे' और 'एम' के साथ-साथ पी.डब्लू.1 भी आरोपियों के घर क्यों गए, इस बारे में अलग-अलग बातें हैं। पी.डब्लू.1 के अनुसार, वह मजदूरों की तलाश में वहां गया था और उसके बाद उसे आरोपियों ने पकड़ लिया क्योंकि 50 रुपये के लोन को लेकर झगड़ा हुआ था। मृतक 'जे' के मरने से पहले दिए गए बयान के अनुसार, मृतक 'जे' और 'एम' वहां घास (चारा) लेने गए थे। जबकि पी.डब्लू.2 के सबूत के अनुसार, जब वह जगतपुर में बीड़ी खरीदने जा रहा था, तो उसकी मुलाकात पी.डब्लू.1 हुई और वे दोनों आरोपियों की गली में गए। आई.ओ. ने माना है कि उसने इस बात की जांच नहीं की कि आरोपी नंबर 1 (अब मृतक) को चोटें कैसे आईं। आरोपी नंबर 1 (अब मृत) ने अपना खास बचाव यह किया है कि जब वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो दो लोग उसके कमरे में आए और उनमें से एक ने उसके सिर पर लाठी से वार किया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा और फ्रैक्चर होने की वजह से वह बेहोश हो गया। [पैरा 16 और 17] [382-डी-जी; 383-ए-बी]

3. रिकॉर्ड में रखे गए मटीरियल से ऐसा लगता है कि प्रॉसिक्यूशन साफ-सुथरे तरीके से नहीं आया है और उसने घटना की शुरुआत को दबाने की कोशिश की है। मरने से पहले दिए गए बयान और पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.2 के सबूतों में इस बात में विरोधाभास है कि किन हालात में मृतक 'जे' और 'एम' आरोपी लोगों के घर गए थे। प्रॉसिक्यूशन आरोपी नंबर 1 (अब मृत) को लगी चोट के बारे में बताने में नाकाम रहा है। आरोपी नंबर 1 (अब मृत) का खास मामला यह है कि दो लोग उसके घर आए थे और उन्होंने उस पर लाठी से हमला किया था। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी नंबर 1 (अब मृत) पर हमले से गुस्साए आरोपियों ने, जब वे खुद पर काबू नहीं रख पाए, तो गंभीर और अचानक उकसावे में आकर, मृतक-'जे' और 'एम' पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अपील करने वाले आर.पी.सी के सेक्शन 300 के एक्सेप्शन के मद्देनजर बेनिफिट ऑफ डाउट के हकदार हैं। इस तरह, प्रॉसिक्यूशन आर.पी.सी के सेक्शन 302 के तहत मामले को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा है। अपील करने वालों को आर.पी.सी की धारा 302 के तहत दी गई सज़ा और दोषसिद्धि को आर.पी.सी की धारा 304 के पार्ट-I के तहत दी गई सज़ा में बदल दिया गया है। [पैरा 18, 20 और 21][383-बी-सी; 383-जी-एच; 384-ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1863/2010

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू के दिनांक 05.06.2009 के निर्णय और आदेश से आपराधिक अपील संख्या 9/1991

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण - त्रिपुरारी रे, बी. एस. बिलौरिया, दिनेश कुमार गर्ग, धनंजय गर्ग, अभिषेक गर्ग, गुरमीत सिंह ।

उत्तरदाता के लिए अधिवक्तागण - शैलेश मदियाल, वैभव सभरवाल, अक्षय कुमार ।

कोर्ट का फैसला सुनाया गया

बी. आर. गवई, जे.

1. मौजूदा अपील में, क्रिमिनल अपील नंबर 09/1991 में जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच (संक्षेप में 'हाई कोर्ट') के 5 जून, 2009 के फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपील करने वालों-आरोपी की अपील खारिज कर दी गई थी और ट्रायल केस नंबर 89/1990 में कठुआ के सेशन जज (संक्षेप में 'सेशन जज') द्वारा 23 मार्च, 1991 को दिए गए दोषसिद्धि और सज़ा के आदेश को कन्फर्म किया गया था।

2. इस अपील के लिए ज़रूरी फैक्ट्स नीचे दिए गए हैं:

I. 16 मई, 1990 को पुलिस स्टेशन, कठुआ (संक्षेप में 'पुलिस स्टेशन') को लगभग 12 बजे दोपहर में विश्वसनीय सूचना मिली कि आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मृत) और उसके बेटे दो युवाओं पर हमला कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने जगतपुर, तहसील कठुआ में स्थित अपने घर में जबरदस्ती हिरासत में लिया है। दैनिक डायरी रजिस्टर में इसके बारे में एक प्रविष्टि की गई थी। उक्त सूचना प्राप्त होने पर, हेड कांस्टेबल-राज मल, कांस्टेबल चमन लाल और तीरथ सिंह के साथ आरोपी अपीलकर्ताओं के घर पहुंचे, उन्होंने पाया कि मंजीत कुमार और जसविंदर गंभीर रूप से घायल थे और एक कमरे में बेहोश पड़े थे। उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए जिला अस्पताल, कठुआ ले जाया गया। सबइंस्पेक्टर बसंत सिंह अस्पताल पहुंचे और डॉ जसविंदर (ईएक्स.पीडब्लू-बीएस) के बयान के आधार पर पुलिस स्टेशन में जम्मू और कश्मीर स्टेट रणबीर पीनल कोड (संक्षेप में 'आर०पी०सी') के सेक्शन 307/382/342/148/149 के तहत एफ०आई०आर नंबर 213/90

दर्ज की गई। बाद में, मंजीत कुमार और जसविंदर दोनों की चोटों के कारण मौत हो गई। इसके बाद, आर.पी.सी का सेक्शन 302 जोड़ा गया।

II. मृतक जसविंदर के बयान (ईएक्स.पीडब्लू-बीएस) में कहा गया है कि, वह और मंजीत कुमार चारा लेने के लिए जगतपुर गांव गए थे। जब वे आरोपी पक्ष के घर के पास वाली गली में चल रहे थे, तो आरोपी लाल चंद, बियास, संत कुमार, रोशन, मदन लाल और आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मृतक) के दूसरे बेटों ने उन्हें घर के अंदर खींच लिया और लोहे की रॉड (सरिया), दरांती (ड्राट) और डंडों से उन पर हमला किया। उन्हें पानी दिया गया जो पीने लायक नहीं था/बेस्वाद था। इसके अलावा, आरोपी-संत कुमार ने मृतक की जेब से 300 रुपये चुरा लिए।

III. सरकारी वकील का केस, आसान शब्दों में, यह है कि आरोपी नंबर 2- बियास राज ने मृतक जसविंदर के भाई यानी पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार से 50 रुपये उधार लिए थे और पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार ने घटना होने से 3-4 दिन पहले यह रकम मांगी थी। घटना वाले दिन पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार मजदूर लाने गांव गया था। जब वह अपील करने वालों के घर के पास था, तो उसे अंदर खींच लिया गया और उस पर हमला किया गया। इसके बाद, उन्होंने उसे चारे के कमरे में बंद कर दिया और मंजीत कुमार और जसविंदर पर हमला किया। पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार घटना की जगह से भागने में कामयाब रहा। पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार के साथ पी.डब्लू.2-हरदेव सिंह भी था और इस घटना के बारे में पी.डब्लू.3-छज्जू राम और कृष्ण चंद लंबरदार को बताया गया।

IV. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (शॉर्ट में 'आई.ओ') ने फाइनल रिपोर्ट जमा की, जिसमें कहा गया है कि ऊपर बताई गई घटना से पहले अपील करने वालों ने पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार पर हमला किया और गलत तरीके से बंधक बनाया, जब वह मजदूरों की तलाश में आया था।

V. आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मृत), आरोपी नंबर 2- बियास राज, आरोपी नंबर 3-मोहिंदर पाल उर्फ रोशन, आरोपी नंबर 4-बसंत कुमार, आरोपी नंबर 5-ओम प्रकाश उर्फ डॉक्टर, आरोपी नंबर 6-किशन चंद और आरोपी नंबर 7-मदन लाल पर मुकदमा चला। आरोपी नंबर 2 से 6, आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मृत) के बेटे हैं। 16 अगस्त 1990 को, सेशन जज ने आर.पी.सी की धारा 302, 148 और 149 के तहत सजा वाले अपराधों के लिए आरोप तय किए।

VI. अपील करने वालों ने खुद को बेकसूर बताया और दावा किया कि उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। प्रॉसिक्यूशन ने आरोपी-अपील करने वालों का गुनाह साबित करने के लिए 19 गवाहों से पूछताछ की। उनका बचाव यह था कि अपील करने वालों ने प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल किया क्योंकि आरोपी नंबर 1- लाल चंद (अब मृत) पर दोनों मृतकों ने हमला किया था, जिन्हें पार्टियों के बीच केस पेंडिंग होने की वजह से काम पर रखा गया था। ट्रायल खत्म होने पर, सेशन जज ने आरोपी नंबर 5- ओम प्रकाश और आरोपी नंबर 6- किशन चंद को बरी कर दिया और आरोपी नंबर 1 से 4 और 7 को आर.पी.सी के सेक्शन 302, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें 500 रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद और जुर्माना न देने पर तीन महीने की साधारण कैद की सज़ा सुनाई।

VII. इससे परेशान होकर, अपील करने वालों-आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की। अपील के पेंडिंग रहने के दौरान आरोपी नंबर 1- लाल चंद की मौत हो गई। आरोपी नंबर 2- बायस राज फरार था और नॉन-बेलेबल वारंट जारी करने के बाद भी उसकी हाज़िरी पक्की नहीं हो सकी। 5 जून, 2009 को, हाई कोर्ट ने अपने विवादित फैसले में, अपील करने वालों की अपील खारिज कर दी और उनकी सज़ा को बरकरार रखा और सेशन जज द्वारा उन्हें दी गई सज़ा को कन्फर्म किया।

3. इससे व्यथित होकर वर्तमान अपील आरोपी सं. 3-मोहिंदर पाल, आरोपी सं. 7-मदन लाल और आरोपी सं. 4-बसंत कुमार द्वारा दायर की गई थी।

4. हमने अपीलकर्ता-आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिपुरारी रे और उत्तरदाता-जम्मू और कश्मीर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शैलेश मदियाल को सुना है।

5. मिस्टर त्रिपुरारी रे का कहना है कि हाई कोर्ट और सेशंस जज ने अपील करने वालों-आरोपी को दोषी ठहराकर बहुत बड़ी गलती की है। मिस्टर रे का कहना है कि मृतक-मंजीत कुमार और जसविंदर ही थे जो अपील करने वालों के घर में बिना इजाज़त घुसे और आरोपी नंबर 1 - लाल चंद (अब मृत) पर हमला किया। इसके बाद, अपील करने वालों ने अपने प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल किया और मृतक पर हमला किया। इसके अलावा, मृतक को ज़्यादातर चोटें उनके पैरों पर लगीं और उनका इरादा गंभीर नुकसान पहुंचाने का नहीं था।

6. मिस्टर रे ने आगे कहा कि मरने से पहले दिए गए बयान यानी मृतक जसविंदर के बयान को देखने पर पता चलता है कि डॉ. रेणु जामवाल ने कहा था कि सूजन की वजह से मरीज़ बयान पर साइन करने की हालत में नहीं था। उस बयान में मरीज़ की मानसिक/शारीरिक हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वह ठीक दिमाग और होश में है या नहीं। इसके अलावा, डॉ. रेणु जामवाल ने माना कि मरीज़ 'कम से कम होश में था और जगह के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था'।

7. मिस्टर रे ने कहा कि P.W.1-प्रवीण कुमार और पी.डब्लू.3-छज्जू राम के सबूत कई बातों पर मरने से पहले दिए गए बयान से उलट हैं। मरने से पहले दिए गए बयान में यह नहीं लिखा है कि पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार पर हमला किया गया और उसे अपील करने वालों के घर में बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से दोनों मृतक अपील करने वालों के घर गए थे, बल्कि इसमें सिर्फ़ यह लिखा है कि वे अपना काम खत्म कर रहे थे और अपील करने वालों ने उन पर हमला किया।

8. उत्तरदाता राज्य की ओर से पेश हुए श्री शैलेश मडियाल ने कहा कि सेशन जज और हाई कोर्ट ने एक साथ माना है कि मरने से पहले दिया गया बयान एक अहम सबूत है। इसे पी.डब्लू-एस.आई बसंत सिंह और डॉ. रेणु जामवाल ने भी अटेस्ट किया है। पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार और पी.डब्लू.2-हरदेव सिंह के सबूतों से भी इसकी पुष्टि होती है। इसलिए, इसे आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

9. मिस्टर मदियाल ने आगे कहा कि प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाना चाहिए। चोटों की तरह से पता चलता है कि कई फ्रैक्चर हुए हैं और इस्तेमाल किए गए हथियारों से पता चलता है कि अपील करने वालों ने मरने वाले पर जान से मारने के इरादे से हमला किया था।

10. हमने रिकॉर्ड में दी गई जानकारी को देखा है। रिकॉर्ड में दी गई जानकारी, खासकर पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट से, इस बात पर कोई शक नहीं है कि मरने वाले की मौत हत्या थी।

11. जहां तक घटना का सवाल है, प्रॉसिक्यूशन मुख्य रूप से मृतक जसविंदर के मरने से पहले दिए गए बयान और मृतक जसविंदर के भाई पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार और पी.डब्लू.2-हरदेव सिंह की मौखिक गवाही पर निर्भर है। मृतक जसविंदर के मरने से पहले दिए गए बयान में आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मृत) के साथ-साथ आरोपी अपील करने वालों को भी फंसाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हालांकि मरने से पहले दिए गए बयान में कहा गया है कि मृतक जसविंदर और आरोपी अपील करने वालों के बीच पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार के सबूत से यह पता चलता है कि आरोपी बायस ने पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार से 50/- रुपये लिए थे और झगड़ा उसे न देने को लेकर था।

12. हालांकि पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार का कहना है कि वह मजदूर लाने के लिए जगतपुर गांव गया था और आरोपी अपील करने वालों ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद उसे बांधकर एक बरामदे में बंद कर दिया, लेकिन मृतक जसविंदर के मरने से पहले दिए गए बयान में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार ने अपने सबूत में कहा है कि कुछ देर बाद, जब उसके भाई मंजीत और जसविंदर आरोपियों के घर के पास वाली गली में जा रहे थे, तो आरोपियों ने उन पर ड्राट और लोहे की रॉड से हमला किया। उसके मुताबिक, जब वे चोटों की वजह से बेहोश हो गए, तो आरोपियों ने उन्हें घसीटकर घर में ले गए। उसने कहा कि उसने रस्सी खोली और भागने में कामयाब रहा। उसने आगे कहा कि जब वह तेली मोड़ पहुंचा, तो उसने केवल कृष्ण को घटना के बारे में बताया और उसके बाद वे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस चौकी गए।

13. पी.डब्लू.2- हरदेव सिंह ने अपने सबूत में कहा है कि घटना वाले दिन वह जगतपुर के पास लगे थ्रेशर पर काम कर रहा था और जब वह बीड़ी खरीदने जा रहा था, तो रास्ते में उसे पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार मिला। उसने कहा कि जब वे आरोपियों के घर के पास गली में पहुंचे, तो आरोपी ओमप्रकाश, महेंद्र, मादी, बियास, संत, काशी और गार ने पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार को पकड़ लिया और उसे पीटते हुए घर के अंदर ले गए। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार के सबूत में पी.डब्लू.2-हरदेव सिंह की मौजूदगी का कोई ज़िक्र नहीं है।

14. पी.डब्लू.2-हरदेव सिंह ने बताया कि इसके बाद वह वापस गया और जब वह जगतपुर नहर के पास पहुँचा, तो उसकी मुलाक़ात मंजीत उर्फ़ बाबी और जसविंदर से हुई और

उसने उन्हें पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार के उससे मिलने और उस पर हमला होने की घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि इसके बाद वह मंजीत और जसविंदर दोनों के साथ घटनास्थल पर गया। उसने बताया कि वह उनसे थोड़ी दूरी पर था। उसने बताया कि जब वे आरोपियों के घर की गली में पहुँचे, तो आरोपियों ने दोनों मृतकों को भी पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। वहाँ से, वह लखनपुर गया और पुरुषोत्तम लाल को फ़ोन किया कि मृतकों को आरोपियों ने घर में कैद कर लिया है। उसने बताया कि जब वे आरोपियों के घर पहुँचे, तो पुलिस पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी।

15. पी.डब्लू.3- छज्जू राम, जो आरोपियों के घर के पास रहता है, अपने बयान से पलट गया है।

16. यह ध्यान देने वाली बात है कि घटनास्थल आरोपियों का घर है। मृतक जसविंदर और मंजीत के साथ-साथ पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार के आरोपियों के घर जाने के बारे में अलग-अलग बातें हैं। पी.डब्लू.1-प्रवीण कुमार के अनुसार, वह मजदूरों की तलाश में वहां गया था और उसके बाद उसे आरोपियों ने पकड़ लिया क्योंकि 50 रुपये के कर्ज को लेकर विवाद था।

17. मृतक जसविंदर के मृत्यु पूर्व बयान के अनुसार मृतक जसविंदर और मंजीत वहां घास (चारा) लेने गए थे। जबकि पी.डब्ल्यू.2-हरदेव सिंह के साक्ष्य के अनुसार जब वह बीड़ी खरीदने जगतपुर जा रहा था तो उसकी मुलाकात पी.डब्ल्यू.1-प्रवीण कुमार से हुई और दोनों आरोपियों की गली में गए। उसने माना कि बीड़ी की दुकान उसी गली में नहीं है। उसके अनुसार पी.डब्ल्यू.1-प्रवीण पर आरोपियों ने हमला कर दिया तो वह वहां से चला गया और रास्ते में मृतक जसविंदर और मंजीत उससे मिले और उसने उन्हें पी.डब्ल्यू.1-प्रवीण कुमार पर हमला करने और उसे बांधने की घटना के बारे में बताया। उसके बाद वे तीनों उस गली में गए जहां आरोपियों का घर था। वहां आरोपियों ने जसविंदर और मंजीत पर हमला किया और वह वहां से चला गया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मृत) को भी उक्त घटना में चोटें आई थीं ने माना है कि उसने इस बात की जांच नहीं की कि आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मृत) को चोटें कैसे आईं। आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मृत) का खास बचाव यह है कि जब वह अपने कमरे में बिस्तर पर

लेटा हुआ था, तो दो लोग उसके कमरे में आए और उनमें से एक ने उसके सिर पर लाठी से वार किया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा और फ्रैक्चर की वजह से वह बेहोश हो गया।

18. रिकॉर्ड में रखे गए मटीरियल से ऐसा लगता है कि प्रॉसिक्यूशन के हाथ साफ नहीं थे और उसने घटना की शुरुआत को दबाने की कोशिश की है। मरने से पहले दिए गए बयान और पी.डब्ल्यू.1-प्रवीण कुमार और पी.डब्ल्यू.2-हरदेव सिंह के सबूतों में विरोधाभास है कि किन हालात में मृतक जसविंदर और मंजीत आरोपियों के घर गए थे। प्रॉसिक्यूशन आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मृत) को लगी चोट के बारे में बताने में नाकाम रहा है। आरोपियों ने यह भी कहा कि आरोपियों की मोहन लाल और केवल कृष्ण से दुश्मनी थी और मृतक के साथ-साथ पी.डब्ल्यू.1-प्रवीण कुमार और पी.डब्ल्यू.2-हरदेव सिंह को उन्होंने आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मृत) पर हमला करने के लिए भेजा था। इसमें कोई शक नहीं कि इससे इनकार किया जाता है।

19. आरोपी का बचाव यह लगता है कि मृतक जसविंदर और मंजीत के साथ-साथ पी.डब्ल्यू.1-प्रवीण कुमार और पी.डब्ल्यू.2-हरदेव सिंह को मोहन लाल और केवल कृष्ण ने पिछली दुश्मनी का बदला लेने के लिए काम पर रखा था।

20. जैसा कि ऊपर बताया गया है, घटनास्थल आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मर चुका है) का घर है। बाकी छह आरोपियों में से 5 उसके बेटे हैं। इस बात में काफी विरोधाभास है कि मृतक जसविंदर और मंजीत कैसे और किन हालात में अपील करने वालों के घर गए थे। मरने से पहले दिए गए बयान और P.W.1-प्रवीण कुमार और P.W.2-हरदेव सिंह के सबूतों में दी गई बातें बिल्कुल अलग हैं। प्रॉसिक्यूशन आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मर चुका है) को लगी चोटों को साबित करने में नाकाम रहा है। आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मर चुका है) का खास मामला यह है कि दो लोग उसके घर आए और उन्होंने उस पर लाठी से हमला किया। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी नंबर 1-लाल चंद (अब मर चुका है) पर हमले से गुस्साए आरोपियों ने, जब वे खुद पर काबू नहीं रख पाए,

तो गंभीर और अचानक उकसावे में आकर मृतक-जसविंदर और मंजीत पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हम पाते हैं कि अपील करने वाले RPC के सेक्शन 300 के एक्सेप्शन । को देखते हुए बेनिफिट ऑफ़ डाउट के हकदार हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि प्रॉसिक्यूशन RPC के सेक्शन 302 के तहत केस को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा है।

21. अपील करने वालों को आर.पी.सी के सेक्शन 302 के तहत जो सज़ा और सज़ा दी गई थी, उसे आर.पी.सी के सेक्शन 304 के पार्ट-। के तहत दी गई सज़ा में बदल दिया गया है। अपील करने वाले पहले ही लगभग दस साल की सज़ा काट चुके हैं, इसलिए, हमें लगता है कि पहले ही काटी गई सज़ा मकसद पूरा कर देगी। अपील करने वालों के बेल बॉन्ड खारिज माने जाएंगे।

22. ऊपर बताई गई शर्तों के तहत अपील को कुछ हद तक मंज़ूरी दी जाती है।

अपील को कुछ हद तक मंज़ूरी दी गई।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।